FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर चूरू

किशनाराम बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर

किस्म मुकदमा स्थगन प्रार्थना-पत्र(राजस्व) संख्या.....27..... सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी एक वृद्ध पुरूष है। जिसका रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही है। मौके पर रास्ता खुला हुआ है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की गलत कार्यवाही की गई है। जिसको स्थगित किया जावें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व स्थगन प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नही पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो की प्रार्थी का अतिक्रमण नही है एवं जिसके आधार पर तहसीलदार बीदासर के निर्णय दिनांक 28.2.2020 की कार्यवाही को स्थगित किया जाए। स्थगन प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने का कोई औचित्य नही है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर में से कम की जाकर मूल प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न रहें। (डॉ. प्रदीप के. गावंडे) जिला कलक्टर, चूरू	